



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 05/2026/D-86

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 150302 दिनांक 01/09/2023 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	CHAND BIHARI LAL GOYAL S/o MADAN LAL GOYAL	श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री श्रीलाल शर्मा	14	315.00 SQ. YARD	Cooperative	MOHAN NAGAR Sector/Block-	Sub Division and Reconstitution	श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री श्रीलाल शर्मा द्वारा दिनांक 30.11.2011 को श्री ऋषभ चौपड़ा पुत्र श्री आनन्द चौपड़ा के पक्ष में निष्पादित मुख्तयारनामा आम, श्री ऋषभ चौपड़ा पुत्र श्री आनन्द चौपड़ा द्वारा दिनांक 01.02.2012 को ओम हरि बिल्डस्टेट प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर श्री राजेश अग्रवाल पुत्र स्व. श्री धनप्रकाश अग्रवाल के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं ओम हरि बिल्डस्टेट प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर श्री राजेश अग्रवाल द्वारा दिनांक 30.05.2014 को श्री चांद बिहारी लाल गोयल पुत्र स्व. श्री मदन लाल गोयल के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. CHAND BIHARI LAL GOYAL S/o MADAN LAL GOYAL को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमे प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय मे प्रस्तुत ना करें |